न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :— मनीषा (आर0 ए0 एस)
प्रकरण संख्या:— 38/2009
दायर दिनांक:— 25.05.2009

उनवान

1. गिर्राज प्रसाद पुत्र मूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी कोलाना तह. बसवा जिला दौसा।
2. नाथू पुत्र भजना जाति गुर्जर निवासी खवारावजी तह0 दौसा जिला दौसा।

(वादीगण)

बनाम

1. पांच्या पुत्र श्रवण
1/1. श्रीकिशन पुत्र स्व0 पांच्या
1/2. रामवतार पुत्र स्व0 पांच्या
तहसील दौसा जिला दौसा।
2. तुलसा पुत्र बिरदा
2/1. जयबाई पत्नि स्व0 तुलसा
2/2. शम्भू पुत्र स्व0 तुलसा
2/3. दलसिंह पुत्र स्व0 तुलसा
2/4. हरिसिंह पुत्र स्व0 तुलसा

(1 से 2/4 तक:) जाति गुर्जर निवासी मित्रपुरा

2/5. बच्ची पुत्री स्व0 तुलसा पत्नि—जगदीश जाति गुर्जर निवासी ग्राम खराना तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
2/6 सन्तो पुत्री तुलसा पत्नि रामकरण जाति गुर्जर निवासी जसोता तह0 दौसा
3. हरिसिंह पुत्र कजोड़ीपुत्री मुरली
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा।

(प्रतिवादीगण)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:13:53 IST
Reason: Self Attested

दावा—तरमीमा

निर्णय दिनांक : 06/01/2021

उपस्थित : 1. श्री राजकुमार तिवाड़ी अधिवक्ता वादीगण।

2. श्री एम0 एल0 गुर्जर अधिवक्ता , प्रतिवादी न0 1।

वकील मय प्रार्थी ने एक वाद दावा तकास्मा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की ग्राम मित्रपुरा तहसील दौसा जिला दौसा में आराजी खसरा नम्बर 250/495 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.39 है0, खसरा नम्बर 253 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 254 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.21 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.25 है0 स्थित है। जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायात 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। अराजीयत में पूर्व में वादी नं0 1 का हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 का हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड था। प्रतिवादी नं0 3 हरिसिंह पुत्र कजोड़ खातेदार ने अपने हिस्से 1/4 की भूमि में से 14/25 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादी नम्बर 2 को बेचान कर दिया। जिसका वादी नामान्तकरण दस्दीग किया जाकर खातेदारी से इन्द्राज किया गया। प्रतिवादी नम्बर 3 का उक्त भूमि में 89/500 हिस्सा शेष रहा। तथा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को 1/4, 1/4 हिस्सा व वादी नम्बर 2 का 1/4 हिस्सा है। उक्त आराजियत का वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 ने बाहमी तौर पर तकास्मा कर रखा हैं । विधिवत तकास्मा नही हुआ है इसलिए वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच हर फसल पर विवाद होता है एवं लगान अदा करने पर भी विवाद होता है।

उक्त वाद में वकील वादी ने वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष प्रदान करने का निवेदन किया है:–

डिक्री तकास्मा इस प्रकार प्रदान करें की ग्राम मित्रपुरा तहसील दौसा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 250/495 रकबा [illegible], खसरा नम्बर 252 रकबा 0.39 है0, खसरा नम्बर 2[illegible] [illegible] खसरा नम्बर 254 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 251 र[illegible] [illegible] कुल [illegible] 5 कुल रकबा 1.25 है0 का तकास्मा मौके व हिस्से के अनुसार फरमा[illegible] अलग अलग खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:13:53 IST
Reason: SelfAttested

की जाकर अलग अलग पासबुक एवं लगान कायम की जावे। यह है कि अन्य अनुतोष जो न्यायोचित हो बहक वादी प्रदान करे।

इस पर वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से मिठ्ठन लाल गुर्जर ने वकालतनामा पेश किया एवं प्रतिवादी नम्बर 2 व 3, 4 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई।

राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट जौपाड़ा में दिनांक 08.06.2018 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई तथा ग्राम मित्रपुरा तहसील दौसा स्थित भूमि 250/495 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.39 है0, खसरा नम्बर 253 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 254 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.21 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.25 है0 भूमि के कुर्रेजात तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार दौसा को आदेश दिये गये थे। इस न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/2018/2026 दिनांक 05.07.2018 के द्वारा तहसीलदार दौसा से कुर्रेजात मंगवाने हेतु तहरीर जारी की गई। कार्यालय तहसीलदार दौसा के द्वारा उनके पत्रांक भू0अ0/2018/6954 दिनांक 16.08.2019 के द्वारा बिना तहसीलदार के हस्ताक्षर के इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पुनः तहसीलदार दौसा के हस्ताक्षारार्थ इस न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/2019/1111 दिनांक 30.10.2019 के द्वारा मूल ही प्रेषित कर कार्यालय तहसीलदार दौसा के पत्रांक भू0अ0/2019/19183 दिनांक 15.11.2019 के द्वारा कुर्रेजात इस न्यायालय को प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली कुर्रेजात बहस पर नियत की गई।

दौराने बहस वादी संख्या 1 की ओर से राजकुमार तिवाडी अधिवक्ता द्वारा वकालतनाम पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान की ओर से अधिवक्ता एमएल गुर्जर की ओर से वकालतनामा पेश किया। उभयक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:13:53 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। तहसीलदार दौसा से प्राप्त कुर्रेजात अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार खाते अलग अलग कर अलग अलग लगान कायम करने हेतु तहसीलदार दौसा को आदेश दिये जाते है।

<u>वादीगणः–</u> गिर्राज प्रसाद पुत्र मूलचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी कोलाना तह0 बसवा जिला दौसा के हिस्से में हरे रंग से दर्शित भूमि खसरा नं0 251/2 रकबा 0.085 है0 चाही 1 लगान 3.82, खसरा 254/1 रकबा 0.1660 है0 चाही 1 लगान 7.47 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2510 है0 कुल लगान 11.29 है0 भूमि रहेगी।

नाथू पुत्र भजना जाति गुर्जर निवासी खवारावजी तह0 नांगलराजावतान जिला दौसा के हिस्से में नीले रंग से दर्शित भूमि खसरा नं0 251/4 रकबा 0.0500 है0 चाही 1 लगान 2.25, खसरा 254 रकबा 0.0900 है0 चाही 1 लगान 4.05 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1400 है0 कुल लगान 6.03 है0 भूमि रहेगी।

<u>प्रतिवादीगणः–</u> शम्भूदयाल, दलसिंह, हरिसिंह पुत्रान तुलसा हिस्सा 3297/8319 राहिन सिंडिकेट बैंक शाखा दौसा जाति गुर्जर निवासी मित्रपुरा तहसील दौसा जिला दौसा श्रीकिशन, रामवतार पुत्रान पांच्या पुत्र श्रवण हिस्सा 3297/8319 जाति गुर्जर निवासी मित्रपुरा तहसील व जिला दौसा, हरिसिंह पुत्र कजोड़ हिस्सा 1725/8319 जाति गुर्जर के हिस्से में बिना रंग से दर्शित भूमि खसरा नं0 251/5 रकबा 0.0479 है0 चाही 1 लगान 2.17, खसरा नं0 254/3 रकबा 0.0840 है0 लगान 3.78, खसरा नं0 250/495 रकबा 0.2000 है0 चाही 1 लगान 9.00, खसरा 252 रकबा 0.3900 चाही 1 लगान 17.55 ख0नं0 253 रकबा 0.1100 चाही 1 लगान 4.95 कुल किता 5 कुल रकबा 00.8319 है0 लगान 37.45 रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:13:53 IST
Reason: SelfAttested

अतः कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री होने योग्य है। वाद वादीगण तहसीलदार दौसा द्वारा पेश कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शे ट्रेस

दिनांक 04.12.2019 के अनुसार राजस्व नक्शे में तितम्बा काटे जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा दिया जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस तैयार दिनांक 15.11.2019 व पेश दिनांक 04.12.2019 इस अन्तिम डिक्री का हिस्सा समझा जायेगा। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

अन्तिम निर्णय आज दिनांक 06.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मनीषा (R.A.S)
सहायक कलेक्टर
दौसा (जि. दौसा)
सहायक कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:13:53 IST
Reason: SelfAttested